



# जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम - मदाऊ, पोस्ट - मांकरोटा, जयपुर, (राज.) - 302026

वेबसाइट : www.jrsanskrituniversity.ac.in

ई-मेल - jrsu@yahoo.co.in

दूरभाष : 0141 - 5127022

दिनांक :-

क्रमांक : प (274)जरारासविधि/शैक्ष./2023/

## कार्यालय आदेश

सत्र 2023-24 के लिए PGDYT/PGDCA पाठ्यक्रम संचालन बाबत अरथाई सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 26.08.2023 व 05.09.2023 की अनुशेषा उपरान्त संबंधित पाठ्यक्रमों के संचालन के संबंध में सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु आवेदित महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों यथा महाविद्यालय स्तर एवं स्वयं की भूमि/भवन इत्यादि होने के दस्तावेज सत्यापन किये जाने के संबंध में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

- |   |         |
|---|---------|
| 1. डॉ. कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक आचार्य ज्योतिष | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. शिवाकान्त मिश्र, सहायक आचार्य ज्योतिष    | सदस्य   |
| 3. डॉ. मधुबाला शर्मा, सहायक आचार्य साहित्य      | सदस्य   |
| 4. डॉ. कुलदीप सिंह, सहायक आचार्य शिक्षा         | सदस्य   |

उक्त समिति PGDYT/PGDCA पाठ्यक्रम हेतु आवेदित महाविद्यालयों के संबंध में उक्तानुसार शर्तों की नियमानुसार दस्तावेज सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.10.2023 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेगी।

कुलसचिव  
दिनांक 27/9

क्रमांक : प (274)जरारासविधि/शैक्ष./2023/5296-5301

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदय, जरारासविधि, जयपुर
2. निदेशक शैक्षणिक परिसर, जरारासविधि, जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यक्रमानुसार संबंधित प्राध्यापकों को परीक्षा कार्यक्रम से मुक्त कराने का श्रम करावें।
3. प्रभारी वेबसाइट, जरारासविधि, जयपुर को भेजकर लेख है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करावें।
4. सत्र 2023-24 में PGDYT/PGDCA पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता अभिवृद्धि हेतु आवेदित समस्त महाविद्यालयों/संस्थाओं को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार विश्वविद्यालय में निर्धारित कार्यक्रमानुसार वांछित दस्तावेज सत्यापन बाबत प्रस्तुत होना सुनिश्चित करावें।
5. संबंधित .....
6. रक्षित पत्रावली

सहायक कुलसचिव